


209  
II/निगम/विशेष/भू-श/2017/4423

35

14/02

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सदस्य महोदय ग्वालियर (म0प्र0)  
खण्ड पीठ रीवा (म0प्र0)



Rs 30

1. छोटेलाल पिता श्री धोबी उम्र 68 वर्ष पेशा खेती
2. शिव प्रसाद पिता छोटे धोबी उम्र 38 वर्ष पेशा खेती
3. कौशल प्रसाद पिता छोटे धोबी उम्र 36 वर्ष पेशा खेती
4. सन्तोष कुमार पिता छोटे धोबी उम्र 34 वर्ष पेशा खेती उक्त सभी

निवासी ग्राम अंकौरी तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0)

.....आवेदकगण/निगरानीकर्तागण

बनाम

.....अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता  
हिनछलाल तनय लक्ष्मिन-जोगी निवासी ग्राम सुपेला तहसील देवसर जिला  
सिंगरौली (म0प्र0)

द्वितीय निगरानी आवेदन माननीय  
अपर कलेक्टर महोदय सिंगरौली  
जिला सिंगरौली के राजस्व प्रकरण  
कमांक 361/निगरानी/2010-11  
में पारित आदेश दिनांक  
11/09/2017 के विरुद्ध।

द्वितीय निगरानी आवेदन पत्र  
अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व  
संहिता 1959

मान्यवर,

निम्नांकित तथ्यों एवं आधारों पर आवेदकगणों द्वारा यह निगरानी  
आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :-

85

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक 11/निग०/रीवा/2017/4423 जिला-रीवा

विरुद्ध डॉ. लाल

(1)	(2)
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. महेंद्र उ० अग्रवाल अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला-रीवा के प्रकरण क्रमांक 36/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 11.09.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>

आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :-

*(Signature)*